

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 22.10.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-60 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जग प्रसाद पुत्र स्व0 बुद्धिराम नि0 बल्दन पुरवा मौज कुड़ासन थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-389/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अजय उर्फ कल्लू पुत्र जिया लाल नि0 पण्डित पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-366/20, 02. शिवराजी पुत्र स्व0 शिव मंगल नि0 लोहारन पुरवा मौजा बेलवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-367/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रेशमा पत्नी वंशी लाल नि0 नैनागढ महादेवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-443/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम नारायन पुत्र जयहरि नि0 कौचिहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-341/20, 02. परमेश्वर पुत्र रामपाल नि0 रामापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-342/20, 03. किशन पुत्र राम कृपाल नि0 बकियापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-343/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

छेडछाड करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रक्षाराम पाठक नि० सालपुर पाठक थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०—231/20, धारा 354ए.323 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ छेडछाड किया था, विरोध करने पर मारा—पीटा था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।।

नाबालिक लड़की के साथ छेडछाड करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना को० देहात पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त सन्तोष कुमार पुत्र सियाराम नि० बैनिया थाना को० देहात जनपद गोण्डा को थाना को० देहात में पंजीकृत मु०अ०सं०—442/20, धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना को० देहात क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड किया था जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना को० देहात में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को० देहात पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना नवाबगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

01. गिरफ्तार अभियुक्त—

01. सोहन पुत्र विशुनदेव नि० ग्राम अशोकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—335/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज के उ०नि० मदन लाल गौतम मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को कस्बा नवाबगंज से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 मदन लाल गौतम।
02. हेड का0 अखिलेश सिंह।
03. का0 इन्द्र कुमार।

थाना खोड़ारे ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

01. गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अनवर अली पुत्र चाँद मोहम्मद नि0 बैजपुर नौघडवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-267/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे अवैध शस्त्र रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना खोड़ारे के व0उ0नि0 अनिल कुमार मिश्र मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को अलाउद्दीन चौराहे से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त थाना खोड़ारे के टाप-10 अपराधियों में से एक है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. व0उ0नि0 अनिल कुमार मिश्र।
02. हेड का0 राममिलन।
03. का0 बृजेश कुमार भारती।

230 ग्राम अवैध चरस बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अमित पुत्र वंशीलाल नि0 ग्राम वकियापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0- 809/20, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 230 ग्राम अवैध चरस।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 21.10.2020 को थाना को० नगर के उ०नि० अजय पाण्डेय मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि एल०बी०एस० चौराहे पर एक व्यक्ति संदिग्ध दिखने पर रोकटोक कर चेक किया गया तो उसके कब्जे से 230 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० अजय पाण्डेय।
02. का० शैलेन्द्र यादव।
03. का० अखिलेश कुमार।